

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0सं0-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-10/2018.....158/पटना, दिनांक-.....4.4.19

कार्यालय आदेश

प्रखंड-सह-आवासीय कार्यालय भवन, नानपुर, सीतामढ़ी के निर्माण कार्य की निविदा में संवेदक " मेसर्स माँ वैष्णों इन्टरप्राइजेज, वीर कुँवर सिंह कालोनी, चरित्रवन, बक्सर, पो0+जिला-बक्सर, निबंधन सं0-प्रथम(फर्म)-12(भवन)/2014 " द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक-16.02.18 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशासित तकनीकी बीड की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त निविदा के निविदाकार मेसर्स माँ वैष्णों इन्टरप्राइजेज, वीर कुँवर सिंह कालोनी, बक्सर द्वारा उक्त निविदा में फर्जी कागजात अपलोड करने के कारण एस०बी०डी० की कंडिका-4.8 के तहत इन्हें नॉन-रिसर्पोन्सिव पाया गया एवं तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया। उक्त कारणों से समिति द्वारा संवेदक के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता (उत्तर) के पत्रांक-377अनु0 दिनांक-26.02.18 द्वारा उक्त संवेदक मेसर्स माँ वैष्णों इन्टरप्राइजेज, वीर कुँवर सिंह कालोनी, चरित्रवन, बक्सर, पो0+जिला-बक्सर, निबंधन सं0-प्रथम(फर्म)-12(भवन)/2014 के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई हेतु पत्र प्राप्त हुआ इसके संबंध में विभागीय पत्रांक-3977(भ), दिनांक-25.04.2018 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जो अभी तक अप्राप्त है।


दिनांक-07.05.18 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण/निलंबन संबंधी बैठक हुई जिसमें समिति द्वारा संवेदक को स्पष्टीकरण हेतु स्मार देने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक-4835 दिनांक-22.05.18 द्वारा संवेदक को स्पष्टीकरण हेतु स्मार दिया गया। उक्त पत्र संवेदक द्वारा लेने से इंकार किया गया। फलतः उक्त पत्र विभाग में वापस लौट आया।

दिनांक-05.06.18 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक हुई, जिसमें समिति द्वारा संवेदक से पुनः स्पष्टीकरण मांगने हेतु स्मार देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-6082 दिनांक-19.06.18 द्वारा संवेदक को स्पष्टीकरण हेतु स्मारित किया गया, परंतु यह पत्र भी विभाग में वापस लौट आया।

समिति द्वारा संवेदक को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-1838 दिनांक-15.02.2019 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु भेजी गयी। संवेदक से स्पष्टीकरण अबतक प्राप्त नहीं हो सका है।

दिनांक-27.03.19 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक हुई। संवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के कारण समिति द्वारा संवेदक मेसर्स माँ वैष्णों इन्टरप्राइजेज, वीर कुँवर सिंह कालोनी, चरित्रवन, बक्सर के निबंधन संख्या-प्रथम(फर्म)-12(भवन)/2014 को एक वर्ष के लिये निलंबित करने का निर्णय लिया गया।


तदनुसार संवेदक मेसर्स माँ वैष्णों इन्टरप्राइजेज, वीर कुँवर सिंह कालोनी, चरित्रवन, बक्सर के निबंधन संख्या-प्रथम(फर्म)-12(भवन)/2014 आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये निलंबित किया जात है।


(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव


निबंधित

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-10/2018.....^{3608(अ)}पटना, दिनांक-.....^{4.4.19}
प्रतिलिपि:-मेसर्स माँ वैष्णों इन्टरप्राइजेज, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, चरित्रवन बक्सर, पो0+जिला-
बक्सर, निबंधन सं0-प्रथम(फर्म)-12(भवन)/2014 बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


31/4/19


अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-10/2018.....^{3608(अ)}पटना, दिनांक-.....^{4.4.19}
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता
प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा
विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन
निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास
विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


31/4/19

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-10/2018.....^{3608(अ)}पटना, दिनांक-.....^{4.4.19}
प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।


31/4/19

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव